उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-**987**/2024/3091/41-1-2024/ सी0एन0-1764732-2024
लखनऊ: दिनांक:17 दिसम्बर, 2024

शुद्धि-पत्र

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर केनगीना में स्थित हजरत मोइनुद्दीन दरगाह मोहल्लाकिला का पर्यटन विकास कार्यके सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग-1,उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-960/2024/2967(1)/41-1-2024-CN-1764732-2024, दिनांक 06-12-2024की प्रतिलिपि के क्रमांक-5 पर अंकित ''मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ'' के स्थान पर ''मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ''एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 06-12-2024उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी, बिजनौर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
6. निदेशक सह, मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज(उत्तर प्रदेश जल निगम), लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
10. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-6, 7, 8, 9, 11व 12 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. उप निदेशक, पर्यटन,बरेली/मुरादाबाद मण्डल, बरेली।
12. अधिशासी अभिन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बिजनौर।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
14. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।